आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम वाद संख्या 57/13–14

रजरनिया देवी वनाम् पुनाराम उर्फ मुन्ना राम

आदेश

16.07.14

आवेदिका रजरनिया देवी पति स्व० नाथुन राम ग्राम मखदुमपुर कबीर टोला 09 नं० सुलिश, थाना वो जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि के 1/2 भाग का नापी कराकर कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो मौजा मखदुमपरु कबीर थाना वो जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
39	560	06 डी० में जानिब पुरब 03 डी०	उ०–शिव प्रसाद राम, द०– कैलाश पासवान, पू०– रामनाथ राम, प०– विपक्षी (द्वितीय पक्ष) नं० हाजा।

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षी की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित भूमि आवेदिका की मौरूसी भूमि है।

(2) आवेदिका का वंशावली निम्न है:–

स्व० भगत राम

स्व० नाथुन राम
पत्नी– रजरनिया देवी (आवेदिका)

पुन्ना राम उर्फ मुन्ना राम
(विपक्षी)

(3) विपक्षी उक्त भूमि के आधा भाग में अपने पिता कें जीवनकाल कें समय से हीं मकान बनाकर निवास कर रहे हैं जबकि आवेदिका कीं भूमि परती है जिसमें चारों तरफ चहारदीवारी बनी हुई है।

(4) उक्त भूमि में आवेदिका के हिस्सा के भूमि में पूर्व में मिट्टी का कमरा कायम था जो अभी गिर चुका है।

(5) विपक्षी द्वारा न्यायालय में आवेदिका के ससुर द्वारा लिखी गई एक वसिका जमा किया गया है। उक्त वसिका का निबंधन की तिथि 07.04.88 है जबकि आवेदिका के ससुर की मृत्यु वसिका निष्पादन के पूर्व 20.01.86 को ही हो गई है। प्रथम दृष्ट्या हीं उक्त वसिका जाली प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में माँगे गये अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित जमीन खाता 71 प्लॉट नं० 753/560 कुल रकवा 06 डी० को दिनांक 06.04.88 को विपक्षी ने निबंधित केवाला के माध्यम से खरीद किया है जिसका डिमाण्ड भी विपक्षी के नाम से कायम है।

(2) विपक्षी वर्षो पूर्व से प्रश्नगत् भूमि पर आवासीय मकान बनाकर ईट का चहारदीवारी देकर सपरिवार शांतिपूर्वक निवास कर रहे है।

(3) किसी भी निबंधित केवाला को वैध या अवैध धोषित करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है तथा प्रतिवादी के निबंधित भूमि पर बॅटवारा का क्षेत्राधिकार भी इस न्यायालय को नहीं है।

(4) विवादित भूमि के सम्पूर्ण भूमि पर चकबंदी पदाधिकारी का निर्णय भी विपक्षी के पक्ष में 02.01.90 को हीं हो चुका है।

(5) आवेदिका द्वारा वाद सुनवाई पर उपस्थापित होने के बाद एक मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 20.01.86 स्व० भगत राम का प्रस्तुत किया गया जो पूर्णतः फर्जी है। भगत राम के मृत्यु के संबंध में उस समय के अरवल सिपाह ग्राम पंचायत के सरपंच अब्दुल हमीद के द्वारा यह प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है कि भगत राम की मृत्यु दिनांक 12.01.89 को हुई हे।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारिज होन योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं वाद पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदिका ने विवादित भूमि पर दावा मौरूसी भूमि में हिस्सा होने के आधार पर किया है। विवादित भूमि का खतियान आवेदिका के ससुर भगत राम के नाम पर है। उपरोक्त भगत राम ने विवादित भूमि खाता 39 खेसरा 560 कुल रकवा 06 डी० दिनांक 07.04.88 को ही विपक्षी मुन्ना राम को निबंधित केवाला द्वारा बिक्री कर दिया था। विवादित भूमि पर अब आवेदिका द्वारा दावा करना उचित नही है। केवाला वैध है या अवैध इसका निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय से बाहर है। वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

16.07

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

16.07

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।